संख्या:63/2026/537/35-4-2026/35-4002(003)/29/2026

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
फिरोजाबाद।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 30 मार्च, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके **पत्र सं0-1231/डी0एस0टी0ओ0/त्व0आ0वि0यो0/2025-26 दिनांक 17 मार्च, 2026, पत्र सं0-1227/डी0एस0टी0ओ0/त्व0आ0वि0यो0/2025-26 दिनांक 17 मार्च, 2026, पत्र सं0-1223/डी0एस0टी0ओ0/त्व0आ0वि0यो0/2025-26 दिनांक 17 मार्च, 2026, पत्र सं0-1224/डी0एस0टी0ओ0/ त्व0आ0वि0यो0/ 2025-26 दिनांक 17 मार्च, 2026, पत्र सं0-1230/डी0एस0टी0ओ0/ त्व0आ0वि0यो0/ 2025-26 दिनांक 17 मार्च, 2026, पत्र सं0-1229/डी0एस0टी0ओ0/ त्व0आ0वि0यो0/ 2025-26 दिनांक 17 मार्च, 2026, पत्र सं0-1228/डी0एस0टी0ओ0/ त्व0आ0वि0यो0/ 2025-26 दिनांक 17 मार्च, 2026** के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद-फिरोजाबाद में निम्नलिखित तालिका में इंगित कार्यों की रू. **2534.30** लाख (रूपये पच्चीस करोड़ चौंतीस लाख तीस हजार मात्र जी0एस0टी0 सहित) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. **1219.00** लाख (रूपये बारह करोड़ उन्नीस लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था उनके सामने इंगित की गयी है:-

(लाख रू. में)

क्र.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी.)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था
1	शिकोहाबाद भूड़ा नहर के पुल से दिखतौली मार्ग तक निर्माण कार्य।	0.75	64.27	31.00	ग्रा.अ.वि.
2	शिकोहाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर रितु होटल के पास से बालाजी मंदिर तक निर्माण कार्य।	0.75	46.66	22.00	ग्रा.अ.वि.
3	नगला बधा से मलिकपुर तक निर्माण कार्य।	1.15	77.82	37.00	ग्रा.अ.वि.
4	शिकोहाबाद-प्रतापपुर मार्ग से ग्राम बछलई तक निर्माण कार्य।	0.55	22.00	11.00	ग्रा.अ.वि.
5	नगला रंजीत से ग्राम कोडरी तक निर्माण कार्य।	0.70	65.14	31.00	ग्रा.अ.वि.
6	प्राणपुर रोड से ग्राम अकबरपुर कुतुबपुर तक निर्माण कार्य।	0.90	61.63	30.00	ग्रा.अ.वि.
7	ग्राम गढी सलेमपुर से लकर सलेमपुर खुटियाना	0.51	32.71	16.00	ग्रा.अ.वि.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	तक निर्माण कार्य।				
8	शिकोहाबाद-बटेश्वर मार्ग से ग्राम फतेहपुर कर्खा तक निर्माण कार्य।	1.05	95.07	46.00	ग्रा.अ.वि.
9	ग्राम हैवतपुर खेड़ा से ग्राम हैवतपुर ठार मार्ग तक निर्माण कार्य।	0.90	63.03	30.00	ग्रा.अ.वि.
10	एन0एच0-19 से टोंडसी प्राचीन शिव मंदिर होते हुए शिक्षण संस्थान सेंदलपुर (अरॉव-जायमई मार्ग तक) निर्माण कार्य।	1.30	88.05	42.00	ग्रा.अ.वि.
11	वार्ड नं0 18 मौ छारबाग रेलवे माल कोरिडोर पुलिसा से दीनदयाल मार्केट, रामबाबू से दुर्गेश, कमला देवी से रामशंकर एवं भरतसिंह से पवन के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	0.42	39.25	19.00	ग्रा.अ.वि.
12	वार्ड नं0 42 मौ0 वियज नगर में ट्रान्सफॉर्मर/ठाकुर रघुराज सिंह गुर्जर से बाबा खप्पर मार्ग पर माल कोरिडोर पुलिया तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	0.25	37.83	18.00	ग्रा.अ.वि.
13	वार्ड नं0 18 ए0के0 टॉकीज के सामने प्रजापति बस्ती में गुप्ता जी बगीची से दीवान सिंह, रामसेवक से राधामोहन, राजवीर से नीलम, राजन सिंह से मुकेश, अतर सिंह से सुनहरी लाल राठौर, सुखराम से शंकरलाल, भगवन सिंह से रामचान, राजनलाल से राजेन्द्र, दुर्जनपाल से रामलक्ष्मण, अतर सिंह से महीपाल के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	0.59	39.22	19.00	ग्रा.अ.वि.
14	वार्ड नं0 42 गुरू नगर में नरेन्द्र से अनुपम गुप्ता, महेश चन्द्र से नबाब सिंह, प्रमोद से बाउण्ड्री, बनैनी बगीची से बच्चू सिंह, चूरामन से देवदत्त, डोरीलाल से राजवीर एवं नबाब सिंह से देवदत्त के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	0.50	31.55	15.00	ग्रा.अ.वि.
15	वार्ड नं0 30 मौ0 नींबू वाला बाग मंे सुपर फाइन सर्विस सेन्टर से कब्रिस्तान, गली न0 11 में मेन रोड से जवाहर सिंह, बसन्ती से सूरज भवन, तोडीराम से रामप्रसाद, अजय गुप्ता से न्यू भोजपुर रोड लाइन्स, सोनू से अभिषेक गुप्ता एवं जगदीश से राजेन्द्र के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण	0.60	37.23	18.00	ग्रा.अ.वि.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	कार्य।				
16	वार्ड नं0 32 तुलसी बिहार हिमॉयूपुर में मूनबार पार्किंग से पी0के0 साइन इम्पोरियम, पी0के0 साइन इम्पोरियम से पी0एस0 हौजरी, दुर्गसिंह से जितेन्द्र पाल सिंह, गोगा जी प्लास्टिक से पी0पी0 गुप्ता के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	0.41	39.21	19.00	ग्रा.अ.वि.
17	वार्ड नं0 04 मौ0 भीम नगर/करबला में सुखवासी से सरला, रमेश से कुलदीप एवं शान्ती से विपिन कुमार के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	0.30	26.90	13.00	ग्रा.अ.वि.
18	वार्ड नं0 20 मौ0 इन्द्रपुरी में मनोज नागर से पप्पूनाथ, मुन्नेश दिवाकर से सरनाम सिंह, महावीर से नरेन्द्र, पूरन से रामलखन, उमाशंकर से मिथुन तथा प्रवीन से ब्रजमोहन के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	0.42	28.76	14.00	ग्रा.अ.वि.
19	वार्ड नं0 38 मौ रहना इन्द्रा नगर में फौजी से रघुवीर, पवन से सुनील, शिवकुमार से सतीश, नीरज से जयप्रकाश, राजन सिंह से ग्रीश शर्मा, आधार से दयाराम, राजकिशोर से भोला, अवधेश से रेखा, रामसेवक से सुबोध तथा सतीश से सीमा के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	0.53	35.39	17.00	ग्रा.अ.वि.
20	वार्ड नं0 11 मौ0 कौशल्या नगर में रक्षपाल से बबलू भारती, अमरदीप से दीपक, दीपू से सुबोध तथा मौ0 बिहारी नगर में आशुतोष उपाध्याय से राम यादव (दरोगा जी), सागर तिवारी से चन्द्रभान सिंह, मनोज शुक्ला से विजय सिंह, सत्यप्रकाश शर्मा से सुखवीर, सागर तिवारी से चन्द्रभान के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	0.57	37.15	18.00	ग्रा.अ.वि.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

21	वार्ड नं0 19 मौ ओम नगर फुलवाड़ी पर जंगजीत वर्मा से जवाहर लाल, शिवनाथ से हरनाम, मुकेश से तिलक सिंह, गुलाब सिंह से कौशल्या देवी, भगवान दास वाली गली, श्री भगवान से टीटू, प्रेमा किन्नर वाली गली, राजू से बजरंगी, बाबूलाल से विशाल एवं संत नगर में महावीर से सुरेश सागर, जय कुमार से धर्मेन्द्र तथा शिवप्रसाद से लीलावती मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	0.54	34.50	17.00	ग्रा.अ.वि.
22	वार्ड नं0 नगला करनसिंह गली न0 01 में राजेन्द्र राठौर से विनोद राठौर, बैजयन्ती से प्रमोद, विनोद से पण्डित जी, धवेन्द्र प्रधान से नवीन विद्यार्थी, गली न0 04 में बाबा ओम प्रकाश से कालीचरन, जसवन्त प्रताव से दिनेश तथा मौ0 संतोष नगर में नरेन्द्र से देवेन्द्र, विजेन्द्र से महेन्द्र गोला, सुरेन्द्र से अनिल जैन तथा गली न0 05 में कोटला रोड से अम्बेडकर स्कूल तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	0.63	39.19	19.00	ग्रा.अ.वि.
23	वार्ड नं0 श्रीरापुरम रहना वार्ड न0 38 में रिंकू से विनीता देवी, मुन्नालाल से मंदिर, सुरेश से विपिन, रनवीर से बलराम सिंह, आर0आर0 रिसोर्ट से गली तक, पुराना रहना में संजय शुक्ला से दीनदयाल शर्मा/सौरभ शुक्ला तथा मोनू से अन्त तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	0.53	33.15	16.00	ग्रा.अ.वि.
24	वार्ड नं0 21 मौ राठौर नगर में जगवीर से राजकिशोर, संतोष से विपिन, बिजेन्द्र से दिनेश, प्रथ्वीराज से उमेश चन्द्र, संजय से जयचन्द्र एवं मैरिज होम से उमेश चन्द्र तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	0.53	39.89	19.00	ग्रा.अ.वि.
25	ग्राम दतावली में अतर प्यारी इ0 कॉलेज से मंणी के मन्दिर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	0.60	59.97	29.00	ग्रा.अ.वि.
26	ग्राम पहाडपुर में मुकेश के नलकूप से सम्पर्क मार्ग तक मार्ग का निर्माण कार्य।	0.20	19.00	9.00	ग्रा.अ.वि.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

27	ग्राम चमरौली में चमरौली सम्पर्ग मार्ग हरी मोहन के घर से कृष्ण मुरारी के घर तक मार्ग का निर्माण कार्य।	0.15	15.16	7.00	ग्रा.अ.वि.
28	सिरसागंज विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत शिकोहाबाद मैनपुरी मार्ग पर सादीपुर की पुलिया से अराव सिरसागंज मार्ग पर चकोर कोल्ड स्टोर तक निर्माण कार्य।	1.10	77.15	37.00	ग्रा.अ.वि.
29	शिकोहाबाद विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर भोले बाबा मंदिर से बालाजी मंदिर तक निर्माण कार्य।	0.70	89.65	43.00	ग्रा.अ.वि.
30	तहसील जसराना के विकास खण्ड एका के ग्राम खेरिया में अवागढ-मुस्तफाबाद लिंक मार्ग से (कोडरा) के समीप भट्टे से) खेरिया गांव के मार्ग पर नवनिर्माण का कार्य।	1.00	68.23	33.00	ग्रा.अ.वि.
31	तहसील जसराना के विकास खण्ड एका के ग्राम नगला नाहर में रूकुमपाल जी के घर से नरेश चन्द्र जी के घर तक नव निर्माण कार्य।	0.26	19.24	9.00	ग्रा.अ.वि.
32	तहसील जसराना के विकास खण्ड एका के ग्राम मचन बाई पास मार्ग पर श्री हमीर सिंह जी के घर से अशोक पाती के घर तक नवनिर्माण कार्य।	0.25	24.31	12.00	ग्रा.अ.वि.
33	विधान सभा सिरसागंज में ग्राम फतेहपुर करखा में सिरसागंज बटेश्वर मार्ग से देबेन्द्र के खोत से नगला कोठी सडक मार्ग तक निर्माण कार्य।	0.80	57.89	28.00	ग्रा.अ.वि.
34	विधान सभा सिरसागंज के फतेहपुर करखों में सिरसागंज बटेश्वर मार्ग से भागीरथी के घर की ओर निर्माण कार्य।	0.70	51.12	25.00	ग्रा.अ.वि.
35	विधान सभा सिरसागंज के बटेश्वर मार्ग से रामपुर ठार से लेकर जमालीपुर रोड तक निर्माण कार्य।	1.20	84.93	41.00	ग्रा.अ.वि.
36	विकास खण्ड नारखी में ग्राम नयावास नारखी बत्तरा मार्ग से कुशवाह की ठार तक सड़क निर्माण कार्य।	0.60	46.02	22.00	ग्रा.अ.वि.

http://shasanadesh.up.gov.in

37	विकास खण्ड नारखी के ग्राम पंचायत कायथा के ग्राम मिलिक में भूड़ गड्डा की मोड़ से दीवान की समरसेविल तक सड़क निर्माण कार्य।	0.52	34.16	16.00	ग्रा.अ.वि.
38	विकास खण्ड नारखी के ग्राम सलेम्पुर से डोरसा मार्ग तक निर्माण कार्य।	0.52	39.88	19.00	ग्रा.अ.वि.
39	विकास खण्ड नारखी के ग्राम जैतपुर से डोरसा मार्ग तक निर्माण कार्य।	0.53	39.31	19.00	ग्रा.अ.वि.
40	विकास खण्ड नारखी के ग्राम पंचायत नारखी धौकल में नारखी फरिहा मार्ग से हरीओम सिंह के खेत तक निर्माण कार्य।	0.60	39.35	19.00	ग्रा.अ.वि.
41	विकास खण्ड नारखी के नारखी बछगाँव मार्ग से बम्बा के किनारे हंसराम गढी तक निर्माण कार्य।	0.75	53.70	26.00	ग्रा.अ.वि.
42	नसीरपुर पुन्छा मार्ग मदन के खेत से बलालपुर तक मार्ग का निर्माण कार्य।	0.63	42.07	20.00	ग्रा.अ.वि.
43	ग्राम आटेपुर में कमलेश के घर से सन्तोष के खेत तक मार्ग का निर्माण कार्य।	0.31	27.05	13.00	ग्रा.अ.वि.
44	ग्राम इशहाकपुर में गुढ़ा मार्ग नन्द कुमार के मकान से प्राथमिक विद्यालय इशहाकपुर के गेट तक मार्ग का निर्माण कार्य।	0.13	11.18	5.00	ग्रा.अ.वि.
45	ग्राम इशहाकपुर में मुन्नालाल के प्लांट (सी०सी०) से सत्यनरायण के मकान तक मार्ग का निर्माण कार्य।	0.21	18.31	9.00	ग्रा.अ.वि.
46	विकास खण्ड टूण्डला के ग्राम पंचायत मदावली में बदनपुर बम्बा मार्ग से मदावली बघेल मौहल्ला तक निर्माण कार्य।	1.80	37.93	18.00	ग्रा.अ.वि.
47	विकास खण्ड नारखी के ग्राम पंचायत नैपई के ग्राम कपावली में एन0एच0-19 बाईपास से कपावली तक मार्ग का निर्माण कार्य।	0.50	43.34	21.00	ग्रा.अ.वि.
48	विकास खण्ड नारखी के ग्राम पंचायत नारखी के ग्राम गढ़ी एवरन से गोंदई मार्ग होते हुए इन्द्रपाल के मकान से सी0सी0 मार्ग तक मार्ग का निर्माण कार्य।	0.70	51.30	25.00	ग्रा.अ.वि.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

49	विकास खण्ड टूण्डला के ग्राम पंचायत सलेमपुर के ग्राम सलेमुपर में सिकरारी बरहन बम्बा मार्ग से सलेमपुर मार्ग तक मार्ग का निर्माण कार्य।	0.70	45.16	22.00	ग्रा.अ.वि.
50	विकास खण्ड टूण्डला के ग्राम पंचायत रामगढ़ उम्मरगढ़ के ग्राम रजापुर में रजापुर से प्राथमिक विद्यालय से राजू के खेत की तरफ सी0सी0 निर्माण कार्य।	0.80	56.70	27.00	ग्रा.अ.वि.
51	विकास खण्ड टूडला के ग्राम पंचायत भैंसा ब्रजपुर के ग्राम बाघई में जलेसर फिरोजाबाद रोड से मेकेश्वर शिव मंदिर तक मार्ग का निर्माण कार्य।	0.60	43.06	21.00	ग्रा.अ.वि.
52	विकास खण्ड नारखी के ग्राम पंचायत आकलाबाद हसनपुर के ग्राम हसनपुर चौराहे से नाथु सिंह कुशवाह के खेत तक की तरफ मार्ग का निर्माण कार्य।	0.70	49.52	24.00	ग्रा.अ.वि.
53	विकास खण्ड टूण्डला के ग्राम पंचायत मोहम्मदाबाद के ग्रा0 न0 बन्ना मे डाबर रोड से नगला कुम्हारन तक मार्ग का निर्माण कार्य।	0.61	41.25	20.00	ग्रा.अ.वि.
54	विकास खण्ड नारखी के ग्राम पंचायत नारखी ओखरा मार्ग से लोकीगढ़ी गॉव की बाइपास तक मार्ग का निर्माण कार्य।	0.50	44.64	21.00	ग्रा.अ.वि.
55	विकास खण्ड टूण्डला के ग्राम पंचायत चुल्हावली में बनकट मार्ग पर गुरू का पीपल पेड़ से स्व0 ग्याप्रसाद जाटव के घर तरफ मार्ग का निर्माण कार्य।	0.60	52.43	25.00	ग्रा.अ.वि.
56	विकास खण्ड टूण्डला के ग्राम पंचायत अनवारा से सोभाराम आहता से गांठ घाट मार्ग से ग्राम नगला सोना से नगला रामबक्श तक मार्ग का निर्माण कार्य।	0.56	35.69	17.00	ग्रा.अ.वि.
	योग:		**2534.30**	**1219.00**	

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
2. प्रदेश की राजकीय कार्यदायी संस्थाओं को सेंटेज चार्ज वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-7/10-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मार्च, 2023 के अनुसार देय होगा। योजनान्तर्गत कंटीजेंसी अनुमन्य नहीं है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।
4. निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।
5. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनाँक 22 मार्च, 2021 के अनुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षण आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
6. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17 (4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके।
7. समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
8. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित कराया जाय। प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट / स्टील / ग्रिट/मोरम इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 का भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं0-2/2022/ई-8-202/दस-2022, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. परियोजना की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना हेतु जनपद स्तर पर कार्यकारी आदेश निर्गत करने जिसे पूर्व जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
10. कार्य का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। कार्य के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे मार्ग की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
11. कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा सी०एम०आई०एस० पोर्टल पर जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
12. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
13. त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर, 2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14. प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार किये जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

15. ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या-1107/78-2-2017-42आईटी /2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
16. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनश्चित किया जायेगा।
17. जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
18. अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
19. परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाय और यदि धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
20. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
21. स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2026 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
22. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2026 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
23. कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।
24. जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।
25. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा।
26. यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।
27. अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
28. कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात नियमानुसार सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।
29. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023- 17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की द्वितीय किश्त हेतु निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए जनपद/कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की वास्तविक लागत के अनुसार मांग की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

जायेगी। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।

30. प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।
31. प्रश्नगत कार्य के लिये नियमानुसार लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।
32. नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या: 60/2025/440/35-4-2025/35-4099/184/2023 (पार्ट-1) दिनांक 22 अप्रैल, 2025 में निहित व्यवस्था के अंतर्गत सीएमआईएस पोर्टल पर जियोटैगिंग के साथ पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

2- उक्त कार्यों में से **(1) क्रमांक-11 से 24 पर** होने वाला व्यय रू. **2,41,00,000** (रूपये दो करोड़ इकतालिस लाख मात्र) को वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में नियोजन विभाग के अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़के-337-सड़क निर्माण कार्य-03- त्वरित आर्थिक विकास योजना- **0302-शहरी क्षेत्रों में सड़कों के सुधार के लिये एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे तथा (2)** शेष कार्यों पर होने वाले व्यय रू0 9,78,00,000 (रूपये नौ करोड़ अठहत्तर लाख मात्र) को लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04- जिला तथा **अन्य सड़के-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0301-ग्रामीण क्षेत्रों में नयी सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था- 24-वृहद निर्माण कार्य** के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तंर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

संख्या:63/2026/537(1)/35-4-2025/35-4002(003)/29/2026 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डायुक्त, आगरा मंडल ।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, फिरोजाबाद।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, फिरोजाबाद।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन,नियोजन विभाग।
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, फिरोजाबाद।
14- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, फिरोजाबाद।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।